फर्द अहकाम

बनाम नौलखा

गुलाबी

कयती दावा

दावा 28/10/18

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आज दिनांक 26/10/20 को पत्रावली पेश हुई; अभिभाषक मंडल द्वारा आज कन्जेक्शन/इकार्य बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य मे व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली, पूर्वानुसार दिनांक 28/10/20 को पेश हों।	
16/10/20	16/10/20 प्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना-पत्र बाबत पत्रावली तलब किये जाने बाबत पेश किये जाने बाद पत्रावली नियत पेशी दिनांक 28/10/20 से पूर्व आरोपी की पेशी पर ली गई। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना बाबत वाद पत्र विडो किये जाने बाबत पेश कर विडो किया लेख अदालत की जानकारी के अभाव में कि भूमि राजीनामा हो चुका है अतः वाद पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है वाद पत्र के विडो खारिज किया जावे। वादी द्वारा तत्पश्चात अतिरिक्त पत्र प्रेषित किये जिनकी पश्चात वकील वादी द्वारा की गई जबकि वादी वाद को आगे नहीं चलाना चाहते है तो वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थी/वादी के प्रार्थना स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विडो के खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर डिक्री तैयार की कर होकर डाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/20 को दिनांक जाम लेते इजलास सुनाया गया।	श्री जयराज मीणा 16-10-20 RTI मीरा देवी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner